भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल

डेयरी प्लांट, हबीबगंज भोपाल– 462024

फोन :– (0755) 2481995 फेक्स :– 0755 – 2450896

e-mail : sanchi.bhopal@gmail.com

भोपाल शहर में साँची दुग्ध वितरक सह–परिवहनकर्ता कार्य हेतु ई–निविदा सूचना

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ के हबीबगंज स्थित डेयरी संयंत्र से भोपाल शहर के मार्ग क्र. 03, 10, 52 एवं 62 पर इंसुलेटेड वाहनों द्वारा साँची दूध विक्रय हेतु आर्थिक रूप से सक्षम व्यक्ति/पार्टियों से वितरक सह–परिवहनकर्ता नियुक्ति के लिए ई–निविदा आमंत्रित की जाती हैं। कार्य अवधि तीन वर्ष के लिए प्रभावशील होगी (जिसे आपसी सहमति से एवं कार्य संतोषप्रद होने पर एक–एक वर्ष करके अधिकतम दो वर्ष हेतु बढ़ाया जा सकता है।)

इच्छुक पार्टी/व्यक्ति निविदा प्रपत्र ऑनलाईन वेबसाईट https://mptenders.gov.in से रू.1000/– के भुगतान पर क्रय कर दिनांक 05.06.2021 दोपहर 01:00 बजे से दिनांक 26.06.2021 सांय 05:00 बजे तक ऑनलाईन भर सकते है। ऑनलाईन अपलोड किये गये तकनीकी अर्हता संबंधी वांछित दस्तावेजों को भौतिक रूप से तथा ऑनलाईन जमा की गई निर्धारित ई.एम.डी राशि रू.100000/– (एक लाख रूपये मात्र) (प्रत्येक मार्ग हेतु पृथक–पृथक) की पावती भी भौतिक रूप से दिनांक 28.06.2021 को दोपहर 01:00 बजे तक भोपाल दुग्ध संघ कार्यालय हबीबगंज भोपाल में जमा करना अनिवार्य होगा। अन्यथा ऑनलाईन निविदा मान्य नहीं की जाएगी।

प्राप्त निविदाएं दिनांक 28.06.2021 को दोपहर 03:00 बजे से भोपाल सहकारी दुग्ध संघ के बोर्ड मीटिंग हॉल में उपस्थित निविदाकार/अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोले जाएंगे। निविदा संबंधी शर्तें, मार्ग एवं विस्तृत विवरण का अवलोकन भोपाल सहकारी दुग्ध संघ की वेबसाईट http://www.sanchidairy.com पर किया जा सकता है। **ई–निविदा प्रपत्र में यदि कोई सुधार/संशोधन होता है तो सिर्फ उपरोक्त दर्शायी गई वेबसाइट्स पर ही अपलोड किया जावेगा, अन्य और कोई भी माध्यम से प्रकाशित नही होगा। अतः निविदाकर्ता निरंतर वेबसाइट का अवलोकन करें। वर्तमान में दुग्ध संघ से वितरक/वितरक सह–परिवहनकर्ता/परिवहनकर्ता व अन्य रूप में अनुबंधित किसी भी सोल प्रोप्रराईटरशिप फर्म/पार्टनरशिप फर्म/कम्पनी को इस ई–निविदा में निविदा प्रस्तुत करने हेतु भोपाल दुग्ध संघ से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।**

किसी भी एक अथवा समस्त निविदाओं को सकारण स्वीकार/निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी भोपाल दुग्ध संघ के पास सुरक्षित रहेगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

मूल्य रू. 1000/–

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल
डेयरी प्लांट हबीबगंज भोपाल

साँची दूध वितरक सह–परिवहनकर्ता कार्य हेतु निविदा प्रपत्र

1	निविदा प्रपत्र ऑनलाईन प्राप्त एवं जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	**दिनांक 26.06.2021 सांय 05.00 बजे तक**
2	ऑनलाईन अपलोड किये गये तकनीकी अर्हता संबंधी दस्तावेज़ भौतिक रूप से जमा करने की अंतिम तिथि, समय एवं स्थान	**दिनांक 28.06.2021 दोपहर 01.00 बजे तक भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल**
3	तकनीकी अर्हता परीक्षण दिनांक, समय एवं स्थान	**दिनांक 28.06.2021 अपरान्ह 03:00 बजे** भोपाल दुग्ध संघ स्थित बोर्ड मीटिंग हॉल
4	निविदा के साथ जमा की जाने वाली अमानत (ई.एम.डी.) राशि	**रू. 1,00,000/– (एक लाख मात्र) ऑनलाईन डिजीटल पेमेंट के माध्यम से**
5	वितरक सह–परिवहनकर्ता कार्य हेतु ''तकनीकी अर्हताऐं'' का प्रारूप	प्रपत्र 01
6	वितरक सह–परिवहनकर्ता की सामान्य शर्तें	प्रपत्र 02
7	.''भाव पत्र/दरे'' प्रस्तुत करने का प्रारूप	प्रपत्र 03

<u>भौतिक निविदा प्रस्तुत करते समय ध्यान रखा जावे कि :–</u>

- **धरोहर राशि (EMD) की ऑनलाईन पेमेंट की रसीद भौतिक रूप से एक अलग लिफाफा में रखें। जिस पर लिफाफा ''A'' लिखा जाए।**
- **प्रपत्र क्रमांक 1 ''तकनीकी अर्हताऐं'' तथा प्रपत्र क्रमांक 2 ''निविदा की शर्तें'' एक ही बंद लिफाफे में प्रस्तुत की जावे एवं लिफाफे पर लिफाफा ''B''– प्रपत्र 1 ''तकनीकी अर्हताऐं'' एवं प्रपत्र 2 निविदा की शर्तें लिखा जावे।**
- **उक्त दोनों ''A'' एवं ''B'' बंद लिफाफे एक साथ एक अन्य लिफाफे में बंद कर कार्यालय में दिनांक 28.06. 2021 दोपहर 01:00 बजे तक जमा की जावें। पहले ''तकनीकी अर्हताऐं'' तथा निविदा शर्तों का लिफाफा खोला जावेगा। तकनीकी अर्हताएं में सफल निविदाकर्ताओं की ही ऑनलाईन प्राप्त दरें खोली जाएंगी।**
- **निविदा प्रपत्र क्रमांक 2 में उल्लेखित शर्तो के अतिरिक्त निविदाकार की ओर से उल्लेखित कोई भी शर्त मान्य नहीं की जावेगी।**
- **भाव पत्र सिर्फ और सिर्फ ऑनलाईन माध्यम से ही भेजा जाए एवं भौतिक रूप से प्राप्त ''दरों'' को निरस्त समझा जावेगा।**

टिप्पणी :–

1. निविदा प्राप्ति की तिथि व समय में अवकाश घोषित होने पर भी परिवर्तन नहीं होगा यदि निविदा तकनीकी बिड व फाइनेंशियल बिड खोलने के लिए निर्धारित तारीख को अवकाश घोषित किया जाता है, तो संबंधित निविदा के संबंधित दिवस की निविदाएं अगले कार्य दिवस पर पूर्व निर्धारित समय पर खोली जावेंगी ।

1. <u>निविदा कार्य अवधिः–</u>

निविदाऐं निर्धारित कार्य अवधि वर्ष 2021–2024 (तीन वर्ष) के लिए आमंत्रित है। आपसी सहमति से एक–एक वर्ष करके दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

2. <u>न्यूनतम अर्हताऐं एवं अनिवार्य दस्तावेज विवरण</u>

स.क्र.	विवरण	स. क्र.	विवरण
	टेक्निकल बिड में सफल होने के लिए निविदाकार को निम्न अर्हताऐं अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगी।		अर्हता की पूर्ति हेतु साक्ष्य के रूप में निम्न सभी अनिवार्य दस्तावेज टेक्निकल बिड में प्रस्तुत करना होंगे, अन्यथा टेक्निकल बिड निरस्त की जायेगी। टेक्निकल बिड में प्रस्तुत करने के लिये इन दस्तावेजों को स्केन कर ऑनलॉईन अपलोड कर उपलब्ध कराने होगे एवं भौतिक रूप से प्रस्तुत करें।
	अनिवार्य अर्हताऐं–		अनिवार्य दस्तावेज
4.1	अपना परिचय व विवरण उदघोषित करना होगा। स्वामित्व / फर्म / भागीदारी / कंपनी की ओर से निविदा भरने हेतु विधिक रूप से अधिकृत हो।	4.1.	निविदाकार का परिचय एवं संक्षिप्त विवरण हेतु इस दस्तावेज के **प्रपत्र क्र.03** को पूर्णतः भर कर अपलोड कर प्रस्तुत करें एवं भौतिक रूप से भी प्रस्तुत करें। फर्म / कंपनी की ओर से निविदा में हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का अधिकार पत्र / मुखतारनामा की मूल प्रति जो नोटरी द्वारा सत्यापित व प्रमाणित हो, संलग्न करें। स्वामी / प्रोप्राईटर द्वारा स्वयं निविदा भरने की स्थिति में आवश्यक नहीं है ।
4.2	निविदाकार स्वामित्व (प्रोपराईटरशिप) की स्थिति में मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के अंतर्गत) /भागीदारी फर्म की स्थिति में पार्टनरशिप एक्ट के अंतर्गत एवं कम्पनी की स्थिति में कम्पनी के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए।	4.4	निविदाकार स्वामित्व (प्रोपराईटरशिप) की स्थिति में मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के अंतर्गत) / भागीदारी फर्म की स्थिति में पार्टनरशिप एक्ट के अंतर्गत एवं कम्पनी की स्थिति में कम्पनी के अंतर्गत पंजीयन प्रमाण–पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
4.3	तकनीकी बिड के साथ निर्धारित ई.एम. डी. राशि का डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से ऑनलाईन जमा होना चाहिये।	4.5	तकनीकी बिड के साथ वांछित ई.एम.डी. राशि जमा हों।
4.4	आयकर विभाग से आयकर के स्थायी खाताधारक हो।	4.6	आयकर स्थायी खाता क्रमांक (PAN) एवं उसकी स्वप्रमाणित छायाप्रति।
4.5	वित्तीय वर्ष 2016–17, 2017–18 एवं 2018–19 की आयकर विवरणी आयकर विभाग में जमा हो।	4.7	आयकर विभाग को प्रस्तुत की गई वित्तीय वर्ष 2016–17, 2017–18 एवं 2018–19 की आयकर विवरणी की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
4.6	निविदा शुल्क जमा किया हो।	4.8	निविदा फार्म क्रय किये जाने / वेबसाईट से डाउनलोड किये जाने की स्थिति में निविदा फार्म के शुल्क की e-payment के माध्यम से

6. **<u>निविदा दस्तावेज का ऑनलाइन क्रय</u> –**

निविदा प्रपत्र (टेंडर डाक्युमेन्ट) वेबसाइड http:// www.mptenders.gov.in पर निविदा दस्तावेज के मूल्य की राशि रू.1000/– (रू. एक हजार रूपये मात्र) (वेट सहित) ऑनलाइन भुगतान कर क्रय किया जा सकता है।

<u>निविदा फार्म पर हस्ताक्षर :</u>

स्वामित्व/फर्म/कंपनी के अधिकृत निविदाकार प्राधिकारी ही निविदा फार्म पर डिजीटल हस्ताक्षर करें, वे हैसियत का वैध प्रमाण प्रस्तुत करेंगे। प्रमाण के अभाव में तकनीकी बिड निरस्त कर दी जायेगी।

क्रं.	**निविदाकार का स्वरूप**	**निविदा कौन भर सकेगा (निविदा प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति डिजीटल हस्ताक्षर से ही निविदा प्रस्तुत कर सकेगें)**
1	एकल स्वामित्व	स्वामी स्वयं या उसका मुखतारनामा धारी अधिकृत व्यक्ति
2	भागीदारी फर्म	सभी भागीदार या उनका मुखतारनामा धारी अधिकृत व्यक्ति
3	कंपनी	कंपनी द्वारा अधिकृत व्यक्ति (कंपनी के अर्न्तनियमों की प्रति भी प्रस्तुत करना होगी)

प्रपत्र क्रमांक–1

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्या.
भोपाल ।

महोदय,

सॉंची दूध के भोपाल शहर में वितरक सह–परिवहनकर्ता कार्य हेतु दिनांक .... को विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित ई–निविदा के संदर्भ में निवेदन करता हूॅं कि मेरे द्वारा निविदा प्रपत्र में वर्णित समस्त शर्ते एवं निर्देश पढ़ कर समझ लिए गए है । यदि मेरी निविदा स्वीकृत की जाती है तो मैं आपके द्वारा निर्धारित शर्तो के अनुसार कार्य करने हेतु सहमत हूॅं। अतः मैं एतद् द्वारा ऑनलाईन जमा की गई अमानत राशि रू.100,000/– (रूपये एक लाख मात्र) की भौतिक रसीद क्रमांक ....दिनांक .... संलग्न कर रहा हूॅं।

तकनीकी अर्हताएं

क्र.	आवश्यक अर्हताएं	विवरण	अनिवार्यतः संलग्न किया जाने वाले दस्तावेज
1.	निविदाकर्ता (सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म /पार्टनरशिप फर्म/कम्पनी) है।		प्रोप्राइटर पंजीयन प्रमाण पत्र /पार्टनरशिप डीड/ पंजीयन प्रमाणपत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
2.	निविदाकर्ता (सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म /पार्टनरशिप फर्म/कम्पनी का पेन कार्ड नम्बर होना अनिवार्य है।		पेन कार्ड की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें
3.	**उपलब्ध इंसुलेटेड वाहन मॉडल निर्माण वर्ष 2016 क्षमता 350 क्रेट**। नया वाहन क्रय करने की स्थिति में एक माह में वाहन उपलब्ध कराने हेतु रू.100/– के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र प्रस्तुत करें।		उपलब्ध वाहन के पंजीयन की प्रति लगायें। नया वाहन खरीदने की स्थिति में रू.100/– के स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र संलग्न करें।
4.	निविदाकर्ता (सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म /पार्टनरशिप फर्म/कम्पनी बैंक का नाम व खाता क्रमांक।		बैंक खाते का एक निरस्त मूल चेक सलंग्न करें।
5.	**दुग्ध या दुग्ध पदार्थ वितरक कार्य हेतु वैध FSSAI लाईसेंस होना अनिवार्य है।**		वैध FSSAI लाईसेंस की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।
6.	ऑनलाईन पेमेंट द्वारा जमा की गई ई. एम.डी. राशि की रसीद लगाना अनिवार्य है।		ऑनलाईन पेमेंट द्वारा जमा की गई राशि रू.100000/– (एक लाख रूपये) की रसीद संलग्न करें।
7.	निविदाकर्ता (सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म /पार्टनरशिप फर्म/कम्पनी दुग्ध संघ के कोई भी अधिकारी/कर्मचारी, माननीय अध्यक्ष, एवं संचालक मण्डल के सदस्य स्वयं अथवा उनके रक्त संबंधी एवं आश्रित परिवार का सदस्य नहीं है, एमपीसीडीएफ/अन्य किसी भी दुग्ध संघ द्वारा किसी भी कार्य हेतु टर्मिनेट अथवा ब्लेक लिस्ट नहीं किया		निविदा प्रपत्र के परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न निर्धारित प्रारूप में रू.100/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र नोटराईज्ड करा कर संलग्न करें।

	गया है एवं किसी भी थाने में आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है। (इस बाबत् रू.100 के स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र)		
8	वित्तीय वर्ष 2016–17, 2017–18 एवं 2018–19 का आयकर जमा (ITR) विवरण संलग्न करना अनिवार्य है।		आयकर विभाग को प्रस्तुत की गई वित्तीय वर्ष 2016–17, 2017–18 एवं 2018–19 की आयकर विवरणी CA (चार्टेड एकाउटेंट) द्वारा प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।
9	**(सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म/पार्टनरशिप फर्म/कम्पनी का दुग्ध, दुग्ध पदार्थ या अन्य एफएमसीजी वितरक सह–परिवहनकर्ता के रूप में कम से कम 5 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है।**		**दुग्ध, दुग्ध पदार्थ या अन्य एफएमसीजी वितरक कार्य के अनुभव संबंधी रू.100/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र संलग्न करें तथा स्वप्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत करें।**
10	वर्तमान में वितरक/परिवहनकर्ता/वितरक सह–परिवहनकर्ता के रूप में कार्यरत है व निविदा प्रस्तुत कर रहें है तो दुग्ध संघ का NOC (अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करें।		मूल अनापत्ति प्रमाण पत्र परिशिष्ट ''ब'' पर निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करें। यदि निविदाकर्ता एक से अधिक मार्ग हेतु निविदा प्रस्तुत कर रहे हैं तो एक निविदा में मूल प्रति एवं अन्य निविदा में अनापत्ति प्रमाण पत्र की छायाप्रति लगाना अनिवार्य होगा।

नोट :– (1) उक्त समस्त दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियॉ संलग्न करना अनिवार्य है।

(2) उपरोक्त जानकारियों में से कोई भी जानकारी असत्य पाये जाने पर ठेका निरस्त कर अमानत राशि राजसात की जा सकेगी ।

हस्ताक्षर————————————

नाम :– ————————————

पता :– ————————————

————————————

————————————

टेलीफोन नं.————————————

मोबाईल नं ————————————

साँची दूध वितरक सह–परिवहनकर्ता हेतु निविदा की आवश्यक शर्ते :–

(1) निविदाकार को निविदा पत्र के साथ स्वयं का पासपोर्ट साईज फोटो लगाना अनिवार्य है।

(2) निविदाकार एक निविदा प्रपत्र में केवल एक ही मार्ग हेतु दरें प्रस्तुत कर सकेंगे। यदि निविदाकार दो या अधिक मार्गों हेतु निविदा प्रस्तुत करना चाहते हैं तो प्रत्येक मार्ग हेतु पृथक निविदा प्रपत्र एवं ई.एम.डी प्रस्तुत करना होगी।

(4) **यदि दो या दो से अधिक पात्र निविदाकर्ताओं द्वारा समान दरें प्रस्तुत की जाती है तो लॉटरी के माध्यम से चयन किया जाएगा।**

(5) निविदाकार कितने भी मार्ग पर निविदा प्रस्तुत कर सकते हैं, परन्तु अधिकतम पांच मार्गों पर ही कार्य दिया जा सकेगा। ऐसे निविदाकार जिनका चयन पूर्व निविदाओं में 60 मार्गों में से पांच मार्गों पर दुग्ध वितरक सह–परिवहनकर्ता कार्य हेतु हो चुका है तो ऐसे निविदाकारों की निविदा अमान्य कर दी जाएगी।

(6) यह निविदा भोपाल शहर के मार्ग क्र.03 के लिए जारी की गई है।

(7) **निविदाकार के पास दुग्ध, दुग्ध पदार्थ या अन्य एफएमसीजी वितरक सह–परिवहनकर्ता के रूप में कम से कम 5 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है।**

(8) **निविदाकार के पास स्वयं का इन्सुलेटेड वाहन वर्ष 2016 या उसके बाद के पंजीकृत वाहन होना अनिवार्य है। यदि निविदाकार के पास निविदा प्रस्तुत करते समय इंसुलेटेड वाहन उपलब्ध नहीं है तो निविदा स्वीकार होने की दिनांक से एक माह की अवधि में इन्सुलेटेड बॉडी बनवाकर (थर्मोकोल हैवी डेन्सिटी 2इंच "या पफ इन्सूलेशन 2इंच) वाहन उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा कार्यादेश निरस्त कर अमानत राशि राजसात कर ली जावेगी। वाहन की फिटनेस आर.टी.ओ से कराकर कार्यालय में जमा करनी होगी।**

(9) निविदाकार को निविदा के साथ रू.100,000/– (रू. एक लाख रूपये) ऑनलाईन डिजीटल पेमेंट द्वारा ई.एम.डी. के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा एवं उसकी रसीद भौतिक रूप से निविदा प्रपत्र में संलग्न करना अनिवार्य होगा। ई.एम.डी जमा न करने की स्थिति में निविदाकार की निविदा पर विचार नही किया जाएगा तथा ऐसी निविदा स्वतः निरस्त मानी जाऐगी।

(10) निविदा स्वीकृत होने के बाद किसी भी कारणवश निर्धारित समय में कार्य प्रारम्भ नहीं करने पर निविदाकार की अर्नेस्टमनी राजसात कर आवंटित कार्य निरस्त कर दिया जाएगा।

(11) **निविदा स्वीकृत होने की स्थिति में निविदाकार को कुल प्रतिदिन विक्रय किये गये दूध के मूल्य की पांच गुना राशि प्रतिभूति राशि के रूप में दुग्ध संघ कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा जिसमें 60 प्रतिशत नगद राशि एवं शेष 40 प्रतिशत राशि संघ के नाम ज्वाइंट एफ.डी.आर. संबंधित द्वारा डिस्चार्ज कराकर दुग्ध संघ कार्यालय में जमा करनी होगी। प्रतिभूति राशि अनुबंध के साथ जमा करने के उपरांत ही कार्य आदेश जारी किये जाएंगे। नगद प्रतिभूति राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।**

(12) निविदा प्रपत्र के साथ निविदाकार द्वारा दी गयी जानकारी यदि असत्य प्रमाणित होती है तो अर्नेस्टमनी राजसात करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा साथ ही आवेदक का ऐसा आवेदन निरस्त समझा जाऐगा।

(13) आवश्यकता प्रतिपादित होने पर केवल न्यूनतम दर प्रस्तुत करने वाले निविदाकार से ही नेगोशिएशन कर दरों का निर्धारण किया जा सकेगा।

(14) निविदा स्वीकृती की स्थिति में सफल निविदाकार को दुग्ध संघ के साथ रू.1000/– के स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रपत्र अनुसार अनुबंध निष्पादित करना होगा।

(15) निविदाकार को निविदा प्रपत्र में दरें अंग्रेजी के अंकों में स्पष्ट वर्णित करनी होगी।

(16) किसी भी निविदा को सकारण निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा।

(17) निविदाकार द्वारा **परिवहन दरें** वर्तमान में प्रभावशील डीजल दरों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत की जाए। अनुबंध अवधि में डीजल की दरों में जो भी वृद्धि/कमी होगी उसका प्रभाव स्वीकृत परिवहन दरों में सामानुपातिक रूप से प्रभावशील किया जाऐगा।

(18) **निविदा स्वीकृति के उपरांत वितरक सह–परिवहनकर्ता की कार्य अवधि तीन वर्षो के लिए प्रभावशील रहेगी।** दुग्ध संघ द्वारा वितरक सह–परिवहनकर्ता का कार्य तीन वर्ष की अवधि में संतोषप्रद पाये जाने पर अनुबंध की समान शर्तो एवं निर्धारित दर पर कार्य अवधि एक–एक वर्ष करके अधिकतम दो वर्ष हेतु आपसी सहमति से बढ़ाई जा सकेगी। **दुग्ध संघ द्वारा वितरक सह–परिवहनकर्त्ता का कार्य उक्त अवधी में संतोषप्रद नहीं पाए जाने पर कार्य आवंटन निरस्त करते हुए पुर्ननिविदा आमंत्रित करने हेतु दुग्ध संघ स्वतंत्र रहेगा।**

(19) अनुबंध अवधि में वितरक सह–परिवहनकर्ता को आवंटित वितरण मार्ग पर निविदा के परिप्रेक्ष्य में कार्यरत वाहन की क्षमता से अधिक दूध की मांग होने पर संबंधित वितरक सह–परिवहनकर्ता को भोपाल दुग्ध संघ प्रबंधन के निर्देशानुसार उपयुक्त क्षमता के अतिरिक्त इन्सुलेटेड वाहन की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करना होगी। इस हेतु दुग्ध संघ द्वारा स्वीकृत परिवहन दर ही मान्य की जाएंगी। स्वीकृत परिवहन दरों के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार का भुगतान दुग्ध संघ द्वारा नहीं किया जाऐगा।

(20) सभी औपचारिकताऐं निर्धारित अवधी में पूर्ण करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधी में कार्यवाही पूर्ण न होने पर कार्य आदेश निरस्त किया जा सकेगा एवं अमानत राशि भी राजसात की जा सकेगी।

(21) निविदा में उल्लेखित दस्तावेजों/लाइसेंस आदि के अतिरिक्त भविष्य में यदि शासन द्वारा जी.एस.टी अथवा अन्य दस्तावेज/लाइसेंस/कानून प्रभावशील किये जाते हैं तो ठेकेदार को स्वयं के व्यय पर उपलब्ध कराने होंगे/पूर्ण रूपेण पालन करना होगा।

(22) **निविदाकार को निविदा के साथ इस आशय का निर्धारित परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न प्रारूप अनुसार रू. 100/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र नॉटराइज्ड कराकर संलग्न करना होगा कि दुग्ध संघ के कोई भी अधिकारी/कर्मचारी, माननीय अध्यक्ष, एवं संचालक मण्डल के सदस्य स्वयं अथवा उनके रक्त संबंधी रिश्तेदार एवं आश्रित परिवार के सदस्य नहीं है, एमपीसीडीएफ भोपाल अथवा सम्बद्ध किसी भी दुग्ध संघ द्वारा निविदाकर्ता को किसी भी प्रकार की अनियमितता के कारण टर्मिनेट अथवा ब्लेक लिस्ट नहीं किया गया है एवं निविदाकर्ता के विरूद्ध किसी भी थाने में किसी भी प्रकार का कोई अपराधिक प्रकारण दर्ज नहीं है।**

(23) वर्तमान वितरक/वितरक सह–परिवहनकर्ता/परिवहनकर्ता जिनके उपर संघ की राशि लेना बकाया है, तो ऐसे निविदाकार की निविदा मान्य नहीं की जाएगी।

(24) यदि वर्तमान में कार्यरत किसी वितरक सह–परिवहनकर्ता की दरें स्वीकृत होती हैं तो समस्त लेनदारी देनदारी उपरान्त ही कार्यादेश जारी किया जाऐगा।

(25) निविदाकार को विधिसम्मत उत्तराधिकारी घोषित करना होगा।

(26) वितरक सह–परिवहनकर्ता को आवंटित मार्ग पर स्थित समस्त विक्रय केन्द्रों से दूध की मांग लेकर एकजाई मांग दुग्ध संघ को ई.आर.पी सॉफ्टवेयर के माध्यम से उपलब्ध करानी होगी तथा प्रतिदिन दोनों समय की विक्रय केन्द्रवार मांग की जानकारी दुग्ध संघ को उपलब्ध कराना होगी। विक्रय केन्द्रवार प्रतिदिन मांग अनुसार वितरक सह–परिवहनकर्ता को स्वयं के स्तर पर शीट चालान तैयार करनी होगी एवं ई–मेल के माध्यम सॉफ्टकॉपी एवं छायाप्रति प्रतिदिन तथा मासिक आधार पर संघ को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

(27) दुग्ध वितरक सह–परिवहनकर्ता को संघ द्वारा प्रतिलीटर मार्जिन 30 पैसे तथा 05 पैसे लीकेज के विरूद्ध तथा 05 पैसे स्टेशनरी (शीट चालान) व्यय के रूप में प्रदान किया जाएगा। जिसमें समय–समय पर वृद्धि का निर्णय संघ द्वारा किया जाएगा। विक्रय केन्द्रों की लीकेज की भरपाई वितरक सह–परिवहनकर्ता को करनी होगी।

(28) वितरक सह–परिवहनकर्ता को निविदा में वर्णित दर में केवल परिवहन दर ही अंकित करनी होगी। उपरोक्त फिक्सड मार्जिन तथा परिवहन दर जोड़कर संयुक्त राशि का भुगतान प्रतिलीटर आधार पर किया जाएगा।

(29) वितरक सह–परिवहनकर्ता को निविदा स्वीकृत होने के उपरांत कार्य आवंटित होने की स्थिति में आवंटित मार्ग में स्वयं का साँची दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों के उचित भण्डारण एवं विक्रय हेतु एक एक्सक्लूज़िव आउटलेट खोलना अनिवार्य होगा। इस हेतु मांग अनुसार दुग्ध उत्पाद वितरक दर पर उपलब्ध कराए जाएंगे। जिससे की उक्त क्षेत्र के उपभोक्ताओं को साँची दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद सुगमता से उपलब्ध हो सके।

(30) निविदाकार यदि वर्तमान में वितरक सह–परिवहनकर्ता/वितरक/परिवहनकर्ता के रूप कार्यरत है तथा उनकी निविदा स्वीकृत होने की स्थिति में औपचारिकताएं पूर्ण करने हेतु जारी किये जाने वाले पत्र से पूर्व यदि किसी भी मद में दुग्ध संघ की लेनदारी बकाया है तो ऐसे निविदाकार को संपूर्ण लेनदारियां संघ में जमा करने के उपरांत ही औपचारिकताएं पूर्ण करने हेतु पत्र जारी किया जाएगा अन्यथा ऐसे निविदाकार की निविदा अमान्य करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी का होगा।

(31) यदि पक्षकारों के बीच इस कार्य के विषय में कोई विवाद उत्पन्न हुआ तो, प्रबंध संचालक, एमपीसीडीएफ को प्रकरण निराकरण हेतु प्रस्तुत किया जा सकेगा। निराकरण न होने की स्थिति में आरबीट्रेशन एक्ट 1996 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

मेरे द्वारा साँची दूध वितरक सह–परिवहनकर्ता की निविदा एवं अनुबंध की शर्ते पढ़ व समक्ष ली है तथा मैं/हम सभी शर्तो को माननें के लिये सहज तैयार हूं/है। निविदा में दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है। यदि मेरे द्वारा निविदा में प्रस्तुत जानकारी असत्य प्रमाणित होती है या मैं बिंदु क्रमांक 01 से 31 तक वर्णित शर्तो को पालन नहीं करता हूं एवं मेरी अर्नेस्टमनी राजसात करने का प्रबंध द्वारा निर्णय किया जाता है तो मै इस हेतु अपनी सहमती देता/देती हूं।

हस्ताक्षर

आवेदक का नाम एवं पता

शपथ पत्र का प्रारूप

(केवल रू. 100/– के नोटराइज्ड स्टॉम्प पर प्रस्तुत करें)

नाम – ....
पिता – ....
आयु – ....
निवासी – ....

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल द्वारा मार्ग क्र. .... हेतु दुग्ध वितरक सह–परिवहनकर्ता की नियुक्ति हेतु ई–निविदा आमंत्रित की गई है। मेरे द्वारा मार्ग क्र. .... हेतु दुग्ध वितरक सह–परिवहनकर्ता कार्य के लिए ई–निविदा प्रस्तुत की गई है। तत्संबंध में मैं शपथपूर्वक सत्य कथन करता/करती हूं कि :–

1. मैं भोपाल दुग्ध संघ के माननीय अध्यक्ष महोदय/प्राधिकृत अधिकारी किसी भी संचालक महोदय, दुग्ध संघ के किसी भी अधिकारी अथवा कर्मचारी से मेरा रक्त संबंध नहीं है एवं मैं आश्रित परिवार का सदस्य नहीं हूं।
2. मुझें एमपीसीडीएफ भोपाल अथवा सम्बद्ध किसी भी दुग्ध संघ द्वारा किसी भी प्रकार की अनियमितता के कारण टर्मिनेट अथवा ब्लेक लिस्ट नहीं किया गया हैं।
3. मेरे विरूद्ध किसी भी थाने में किसी भी प्रकार का कोई अपराधिक प्रकारण दर्ज नहीं है।

इति दिनांक .... भोपाल **हस्ताक्षर शपथग्राहिता ....**

<u>सत्यापन</u>

मैं शपथग्रहिता शपथपूर्वक सत्य कथन करता हुँ कि उपरोक्त शपथ पत्र की पद संख्या 01, 02 एवं 03 में वर्णित संपूर्ण कथन मेरे निजी ज्ञान के अधार पर सत्य एवं सही है। इससे कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

इति दिनांक .... भोपाल **हस्ताक्षर शपथग्राहिता ....**

परिशिष्ट "ब"

अनापत्ति प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि ....(सोल प्रोपाइटरशिप फर्म/पार्टनरशिप फर्म/कम्पनी) वर्तमान में भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल के साथ ... . के रूप में कार्यरत है तथा आज दिनांक .... तक की स्थिती में उक्त सोल प्रोपाइटरशिप फर्म/पार्टनरशिप फर्म/कम्पनी पर भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल की कोई भी लेनदारी शेष नही है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

प्रपत्र क्रमांक–3

साँची दूध वितरक सह–परिवहनकर्ता हेतु निविदा–प्रपत्र

स्वप्रमाणित पासपोर्ट साइज का रंगीन फोटो

1. आवेदित मार्ग क्रमांक ....
2. निविदाकार का नाम..
3. पत्र व्यवहार का पता ....

   ....
4. डेयरी सयंत्र भोपाल से आवेदित मार्ग पर समस्त केन्द्रों पर प्रतिदिन दोनों समय साँची दूध वितरण करने एवं दोनों समय क्रेट वापसी हेतु परिवहन दर अंको में रूपये____________________पैसे प्रति लीटर (शब्दों में____पैसे प्रतिलीटर) तथा वितरक मार्जिन अंकों में रू.0.30 प्रतिलीटर (शब्दों में तीस पैसे प्रतिलीटर) तथा रू.0.05 (शब्दों में पांच पैसे प्रतिलीटर) लीकेज के विरूद्ध तथा रू.0.05 (शब्दों में पांच पैसे प्रतिलीटर) स्टेशनरी व्यय कुल योग अंको में रू._______प्रतिलीटर (शब्दों में रू.________________________प्रतिलीटर) प्रस्तुत करता हूँ।

बूथ/मिल्क पार्लर/एजेन्सी को देय रिटेलर मार्जिन को छोड़कर निविदाकार वितरक सह–परिवहनकर्ता कार्य हेतु प्रति लीटर दरें प्रस्तुत करें।

निविदाकार के हस्ताक्षर......................

दिनांक................................   पूरा नाम..

<u>साँची दूध वितरक सह–परिवहनकर्ता अनुबंध प्रारूप (भोपाल शहर विपणन)</u>

यह अनुबंध आज दिनांक...................................... को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ, मर्यादित, हबीबगंज, भोपाल जिसे आगे दुग्ध संघ के नाम से संबोधित किया जावेगा।

एवं मेसर्स .... भोपाल द्वारा पार्टनर श्री ....से बतौर दूध के वितरक सह–परिवहनकर्ता की हैसियत से दुग्ध संघ द्वारा मार्ग क्रमांक .... के लिए दिनांक .... से दिनांक .... तक अवधि वास्ते अनुबंधित कर हस्ताक्षरित किया गया है। इन्हें आगे बतौर वितरक सह–परिवहनकर्ता नाम से संबोधित किया जावेगा। इस अनुबंध के तहत् निम्नलिखित शर्तो के अधीन दुग्ध संघ व वितरक सह–परिवहनकर्ता कार्य संपादित करेंगे।

1. यह अनुबंध विशुद्ध रूप से व्यावसायिक अनुबंध है तथा इसके तहत् वितरक सह–परिवहनकर्ता को एक माह की पूर्व सूचना देकर दुग्ध संघ के हित में यह अनुबंध निरस्त करने का अधिकार दुग्ध संघ का होगा। वितरक सह–परिवहनकर्ता इस अनुबंध के तहत् कार्य नहीं करना चाहता है तो, उसे दुग्ध संघ को एक माह का लिखित अग्रिम नोटिस वितरक सह–परिवहनकर्ता का कार्य छोड़ने बावत् देना होगा।
2. वितरक सह–परिवहनकर्ता को दुग्ध संघ के पास 60 प्रतिशत प्रतिभूति राशि रू...................(शब्दों में........... ....) नगद या डी.डी. राशि रू. ....(शब्दों में.......................................) जमा करावेगा एवं शेष 40 प्रतिशत प्रतिभूति राशि रू........................(शब्दों में...................................) की एफ.डी.आर संघ के नाम ज्वाइंट एफ.डी.आर. के रूप में संघ कार्यालय में जमा करनी होगी। दुग्ध संघ में जमा की गई नगद राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
3. वितरक सह–परिवहनकर्ता द्वारा संघ में जमा की गई सुरक्षा निधि, वितरकशीप अवधि पूर्ण होने पर तथा संघ को अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के बाद सुरक्षा निधी वापस करने की कार्यवाही की जाएगी।
4. वितरक सह–परिवहनकर्ता, **मार्ग क्रमांक ....** पर स्थित साँची दूध निर्धारित विक्रय केन्द्रों, पर दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित समयावधि में पहुंचाना सुनिश्चित करेगा। वितरण सुविधा हेतु मार्ग के विक्रय केन्द्रों की संख्या में कमी अथवा बढ़ोत्तरी करने एवं विक्रय केन्द्रों को किसी भी मार्ग से अन्य मार्ग पर दूध प्राप्त करने हेतु अधिकृत करने का अधिकार दुग्ध संघ के पास होगा, जो वितरक सह–परिवहनकर्ता को मान्य करना होगा।
5. **यदि वितरक सह–परिवहनकर्ता निविदा में उल्लेखित शर्तों के अधीन वस्तुओं को प्रदाय नहीं करता है अथवा अपेक्षित सेवाएं प्रदान नहीं करता है तो दुग्ध संघ द्वारा आदेश निरस्त किया जा सकेगा, वितरक सह–परिवहनकर्ता को एक वर्ष हेतु काली सूची में डाला जा सकेगा तथा जमा प्रतिभूति राशि राजसात की जा सकेगी।**
6. वितरक सह–परिवहनकर्ता दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित वितरक मूल्य पर साँची दूध एक्स डेयरी डाक भोपाल से मांग अनुसार विपणन हेतु प्राप्त करेगा, किन्तु कतिपय कारणों से जैसे पावर सप्लाई में गड़बड़ी दुग्ध संयंत्र की यांत्रिकी गड़बड़ी से मटेरियल (दुग्ध व अन्य पैकेजिंग सामान आदि) की अनुपलब्धता, हड़ताल,भूकम्प आदि की स्थितियों में यदि दुग्ध संघ वितरक की मांग अनुसार उसे साँची दूध उपलब्ध नहीं करा पाता है तो ऐसी स्थिति में दुग्ध संघ द्वारा किसी भी तरह का हर्जाना आदि नहीं दिया जाऐगा।
7. वितरक सह–परिवहनकर्ता को डेयरी डाक से प्राप्त किये गये साँची दूध का वितरण कार्य सिर्फ इन्सुलेटेड वाहन जिसकी भार क्षमता व वर्ष निविदा प्रपत्र में उल्लेख अनुसार ही करना अनिवार्य होगा।
8. वितरक सह–परिवहनकर्ता, दुग्ध विक्रय एजेंटों को दूध की मांग अनुसार पूर्ण रूप से प्रदाय की व्यवस्था करेगा। एजेंटों की मांग, वितरक या उनके अधीनस्थ कार्य कर रहें कर्मचारी अपनी मर्जी से न घटाएगें/न बढ़ायेगें।
9. वितरक निर्धारित रिटेलर दर पर ही दुग्ध विक्रय एजेन्ट को दूध देगा। यदि ऐसा पाया जाता है कि वितरक दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित दर से अधिक दर विक्रय ऐजन्टों से वसूली कर रहा है, तो दुग्ध संघ वितरक पर पेनल्टी लगा सकेगा एवं इस प्रक्रिया की बार–बार पुर्नरावृत्ति की स्थिति में वितरकशिप समाप्त कर सकेगा।
10. डेयरी परिसर में स्वच्छता बनाये रखने के लिए वितरण वाहनों की साफ–सफाई संयंत्र परिसर के बाहर करेंगे। डेरी संयंत्र में ऐसा करते पाये जाने पर रू.500/– का अर्थदण्ड लगाया जाऐगा।
11. वितरक के प्रतिनिधि, डेयरी संयंत्र के प्रतिबंधित क्षेत्र यथा लेब, कोल्ड स्टोर, संसाधन, पैकेजिंग कक्ष में नहीं जावेंगे। प्रतिबंधित क्षेत्र में पाये जाने पर संघ जो भी दण्ड तय करेगा वह वितरक को मान्य होगा।

12. वितरक की आकस्मिक मृत्यु होने की स्थिति में संघ उसके मान्य उत्तराधिकारी को उस स्थिति में नियुक्त कर सकता है, यदि वह उत्तराधिकारी संघ के निर्धारित शर्तों का पालन करने हेतु सहमति देता है। उत्तराधिकारी का नाम अनुबंध पत्र के निष्पादन के समय नामिनेशन प्रदान किया जाना आवश्यक है।
13. संघ डेयरी डाक पर पैकेट में दूध क्रेट के माध्यम से देगा। जिसे निर्धारित समय में वितरक को उठाना होगा। डेयरी डाक पर वितरक छांट कर दूध का पैकेट लेगा एवं विक्रय एजेन्टों को अच्छे पैकेट देगा। **दुग्ध वितरण के उपरांत संघ द्वारा दूध रिटर्न नहीं लिया जाएगा। इस हेतु लीकेज कंपनसेशन के रूप में वितरक सह–परिवहनकर्ता को 05 पैसे प्रतिलीटर का भुगतान पृथक से प्रतिदिन विक्रय अनुसार किया जाएगा।**
14. वितरक सह–परिवहनकर्ता को वाहन में वाहन चालक के अतिरिक्त एक लेबर लोडिग/अनलोडिंग हेतु आवश्यक रूप से रखना होगा।
15. वितरक सह–परिवहनकर्ता को वाहन चालक एवं लेबर का नाम व पता संघ को लिखित में सूचित करना होगा एवं इनका पुलिस वेरिफिकेशन कराया जाना आवश्यक होगा।
16. संघ द्वारा किसी भी वाहन चालक व दूध वाहन में कार्यरत लेबर को संघ परिसर में आने हेतु किसी भी कारण से यदि मना किया गया है तो, उस वाहन चालक व लेबर को कोई भी अन्य वितरक सह–परिवहनकर्ता अपनें वाहन में वितरण कार्य हेतु नहीं लगाएगा। इस शर्त का उल्लघंन करते पाये जानें पर वितरक सह–परिवहनकर्ता की वितरक सह–परिवहनकर्ता शिप बिना नोटिस दिये निरस्त करने हेतु पूर्ण रूपेण संघ स्वतंत्र होगा।
17. वितरक सह–परिवहनकर्ता को उसके वाहन पर कार्यरत कर्मचारियों का पहचान पत्र बनवाना आवश्यक होगा, जो कि उनके द्वारा सत्यापित होगा, जिसे वाहन चालक एवं वाहन सहायक को डेयरी परिसर में प्रवेश के दौरान गले में लटकाना अनिवार्य होगा। पहचान पत्र का व्यय वितरक सह–परिवहनकर्ता द्वारा वहन किया जावेगा। इसकी चैकिंग संघ की सुरक्षा शाखा द्वारा की जाऐगी।
18. वितरण वाहन में कार्यरत कर्मचारी एवं एजेंटों के बीच उठे विवादों को वितरक सह–परिवहनकर्ता अपनी उपस्थिति में शांतिपूर्वक सुलझावेगा ताकि विवाद न बढ़ने पाये एंव दूध वितरण कार्य में किसी प्रकार की रूकावट न आनें दें।
19. **वितरक सह–परिवहनकर्ता दुग्ध संघ से प्राप्त क्रेटस/केन्स आदि का पूर्ण लेखा–जोखा रखेगा तथा इसकी पूर्ण वापसी हेतु जवाबदार रहेगा। ऐसा न करने पर दुग्ध संघ के पास वितरक सह–परिवहनकर्ता से क्रेटस/केन्स की राशि रू.100/– प्रतिक्रेट पेनल्टी एवं क्रेट का मूल्य वसूल करेगा। खाली क्रेट्स सुबह 11:00 बजे तक एवं शाम को 8:00 बजे तक जमा कराना अनिवार्य होगा।**
20. वितरक सह–परिवहनकर्ता शासन के समस्त निर्धारित करों आदि के भुगतान हेतु पूर्ण/रूपेण जबावदार होगा तथा केन्द्र शासन/राज्य शासन के इस विषय पर समय–समय पर दिये गये निर्देशों के पालनार्थ पूर्ण रूपेण बाध्य होगा। ऐसा न करने की स्थिति में संबंधित समस्त कानूनी कार्यवाही वितरक के विरूद्ध की जा सकेगी।
21. वितरक सह–परिवहनकर्ता दुग्ध संघ की सहमति से अपने निर्धारित मार्ग पर विक्रय केन्द्रों की संख्या बढोत्तरी हेतु प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत कराऐगा। विक्रय केन्द्र आवंटन की प्रक्रिया संघ द्वारा पूर्ण की जाऐगी।
22. **वितरक सह–परिवहनकर्ता द्वारा आवंटित मार्ग के बूथ/पार्लर/एजेन्सी/अन्य को प्रदाय किये गये दूध की धनराशि का भुगतान वितरक को स्वयं प्राप्त करना होगा। किसी भी बूथ/पार्लर/एजेंसी अथवा अन्य के किसी भी भुगतान के लिए दुग्ध संघ जिम्मेदार नहीं होगा।**
23. समय–समय पर दुग्ध संघ वितरक सह–परिवहनकर्ता को आवंटित मार्ग/क्षेत्र हेतु विक्रय लक्ष्य देगा, जिसकी प्राप्ति सुनिश्चित करना वितरक सह–परिवहनकर्ता के लिए बाध्यता होगी तथा लक्ष्यों की प्राप्ति न कर पानें पर इस बाबत् प्रबंध पक्ष द्वारा लिये गये निर्णयों को मानने हेतु वितरक सह–परिवहनकर्ता बाध्य होगा।
24. वितरक सह–परिवहनकर्ता से जो भी अर्थदण्ड की राशि वसूली किया जाना अनुबंध की शर्तों में प्रस्तावित है, की वसूली वितरक सह–परिवहनकर्ता से धनादेश के माध्यम से अथवा उनके द्वारा रखी जमानत राशि से की जाऐगी।
25. वितरक सह–परिवहनकर्ता को आबंटित कार्य किसी अन्य को वितरक सह–परिवहनकर्ता हस्तांतरित नहीं करेगा। ऐसा करते पाये जाने पर दुग्ध संघ बिना कोई नोटिस दिये दी गई आवंटित मार्ग निरस्त कर सकेगा, तथा उसकी जमानत राशि राजसात कर सकेगा।

26. दुग्ध संघ संबंधित मार्ग/क्षेत्र स्थित शासकीय संस्थाओं को उधारी में सांची दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ वितरक सह–परिवहनकर्ता के माध्यम से प्रदाय करेगा, जिसकी आवश्यक पावती आदि प्राप्त करने की पूर्ण जवाबदारी वितरक सह–परिवहनकर्ता की होगी व संस्थाओं में प्रदाय पेटे का परिवहन देयक अनुमोदित परिवहन दर पर प्रस्तुत किये जाने पर दुग्ध संघ भुगतान करेगा। कम प्रदाय की राशि परिवहन देयक से काटी जाएगी।
27. वितरक सह–परिवहनकर्ता प्रतिमाह आवश्यकतानुसार मार्ग के समस्त विक्रय केन्द्र के प्रभारियों को 10 तारीख तक उनको विपणित की गई दुग्ध की मात्रा, राशि आदि का लेखा–जोखा उपलब्ध करवायेगा। तथा इसकी एक प्रतिलिपि दुग्ध संघ को भी अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराऐगा।
28. समय–समय पर दुग्ध संघ द्वारा वितरक सह–परिवहनकर्ता को दुग्ध विक्रय प्रोत्साहन हेतु दिये गये निर्देशों का पालन करने हेतु वितरक सह–परिवहनकर्ता बाध्य होगा एवं यदि दुग्ध संघ यह पाता है कि वितरक विक्रय प्रोत्साहन हेतु आवश्यक प्रयास नहीं कर रहा है या कर पा रहा है, या उसे दिये समय–समय पर दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रहा है। जो विक्रय प्रोत्साहन कार्य के लिए आवश्यक है, तो ऐसी स्थिति में दुग्ध संघ अपनें व्यावसायिक हितों को सर्वोपरि रखते हुये कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र होगा। जिसमें कार्य आवंटन निरस्त करने की कार्यवाही भी की जा सकेगी।
29. वितरक सह–परिवहनकर्ता कार्य हेतु वितरक सह–परिवहनकर्ता का इन्स्यूलेटेड वाहन स्वंय के नाम से पंजीकृत होना अनिवार्य है।
30. वितरक सह–परिवहनकर्ता को वितरण कार्य आरंभ करने से पूर्व संघ कार्यालय को वाहन के पंजीकरण से सम्बंधित समस्त दस्तावेज का निरीक्षण संघ की गठित समिति को कराना आवश्यक होगा तथा इन दस्तावेजों की एक छायाप्रति संघ कार्यालय में जमा करनी होगी। वाहन कार्य पर लगाने से पूर्व उसका भौतिक सत्यापन संघ द्वारा गठित समिति से कराना होगा।
31. वितरक सह–परिवहनकर्ता की संघ में निर्धारित वितरण कार्य हेतु अवधि मे वितरक सह–परिवहनकर्ता द्वारा वाहन पंजीकरण से सम्बंधित दस्तावेजों मे परिवर्तन बिना संघ की अनुमति के नहीं किया जावेगा। यदि किसी कारणवश वितरक सह–परिवहनकर्ता संघ से अनुबंधित वाहन विक्रय करता है या उसे बदलना चाहता है, तो इस हेतु संघ की अनुमति लेना आवश्यक है, तथा वाहन के विक्रय/बदलने के पूर्व वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करना वितरक सह–परिवहनकर्ता का दायित्व होगा।
32. संघ द्वारा वितरक सह–परिवहनकर्ता के मार्ग पर निर्धारित किये गये दुग्ध विक्रय केन्द्रों पर वितरक सह–परिवहनकर्ता द्वारा नियमित रूप से दूध प्रदाय किया जावेगा, यदि किसी कारणवश वितरक सह–परिवहनकर्ता किसी दुग्ध वितरण केन्द्र पर दूध प्रदाय बंद करने हेतु बाध्य होता है, तो उसे सम्पूर्ण प्रकरण लिखित में संघ कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा तथा संघ के सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त होने पर ही दुग्ध प्रदाय संबंधित दुग्ध विक्रय केन्द्रो पर बंद कर सकेगा। यदि वितरक सह–परिवहनकर्ता द्वारा बिना संघ की अनुमति के किसी दुग्ध विक्रय केन्द्र पर दुग्ध प्रदाय बंद किया जाता है तो संघ को हूई हानि के बराबर राशि वसूली जावेगी।
33. वितरक सह–परिवहनकर्ता को अपने मार्ग के समस्त दुग्ध विक्रय केन्द्रो एवं शासकीय संस्थाओं आदि से आगामी मांग हेतु निर्धारित चालान संघ में नियमित रूप से जमा करने होगे। किसी कारणवश चालान संघ में जमा न होने पर राशि रू. 50/–प्रति चालान प्रतिदिन वितरक से दण्ड स्वरूप वसूली योग्य होगी।
34. यह कि वितरक सह–परिवहनकर्ता अपने वाहन से दूध व दूध के पैकेट्स एवं क्रेट/केन भरकर उतनी मात्रा में ले जावेंगे जितनी कि शीट चालान में दर्शाई गई है। यदि निर्धारित मात्रा से अधिक दूध वाहन में पाया जाता है तो निम्नानुसार कार्यवाही की जाऐगी :–

(1) वितरण वाहन की चैकिंग के दौरान यदि एक से उन्नीस दूध पैकेट तक अधिक पाये जाते हैं तो वितरक सह–परिवहनकर्ता से दूध की कीमत की पाँच गुना राशि का अर्थदण्ड वसूल की जावेगी।

(2) एक क्रेट या उससे अधिक दूध/दूध पैकेट पाये जाने पर दूध की कीमत का 20 गुना राशि का अर्थदण्ड वितरक सह–परिवहनकर्ता से वसूल किया जावेगा एवं वाहन लोडर को हटाया जाऐगा। दैनिक दुग्ध विक्रय राशि के अतिरिक्त उपरोक्त वर्णित या अन्य कोई भी वसूली वितरक द्वारा संघ में जमा चेक बुक के माध्यम से करने का अधिकार दुग्ध संघ को होगा।

35. अनुबंधित अवधि में वर्तमान में निर्धारित मार्गो के दुग्घ विक्रय के संबंध में आवश्यकता अनुसार संशोघन कर नये मार्ग बनाने का अधिकार संघ को होगा। अतः इस प्रक्रिया के अंतर्गत वितरकों के मार्गो के वर्तमान दुग्ध विक्रय केन्द्रों को नये मार्ग में सम्मिलित किया जा सकेगा।
36. वितरक सह–परिवहनकर्ता को शासन द्वारा जारी फूड लायसेंस एवं अन्य वैधानिक दस्तावेज़ लेना अनिवार्य है जिसकी छायाप्रति दुग्ध संघ कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।

37. **दुग्ध संघ द्वारा वितरक सह–परिवहनकर्ता को प्रदाय किये गये दूध की समस्त धनराशि आर.टी.जी. एस/एन.ई.एफ.टी के माध्यम से जमा करेगा अथवा संघ में रेखाकिंत (दुग्ध संघ के हित में) धनादेश देगा। (जो भी लागू हो) धनादेश लगाकर भुगतान प्राप्त किया जाऐगा। धनादेश अनादरित होने की स्थिति निम्नानुसार भुगतान प्राप्त किया जाएगा।**

A- धनादेश के अनादरित होने पर रू.20.00 लाख तक अनादरित धनादेश की कुल राशि पर धनादेश के अनादरित होने के दिनांक से प्रथम 7 दिवस के लिए प्रत्येक दिन के अर्थदंड की राशि रू.1000/– के मान से वसूली जावेगी। रू.20.00 से अधिक के धनादेश अनादरित होने पर अर्थदंड रू.2000/– प्रतिदिन के मान से वसूली योग्य होगा।

B- यदि धनादेश के जारी होने के दिनांक से प्रथम 7 दिवस की भीतर वितरक द्वारा लागू अर्थदंड के साथ दुग्ध संघ के खाते में राशि जमा नहीं की जाती है तो 8वें दिवस से 14वें दिन के लिए अर्थदंड की राशि रू.20.00 लाख तक के धनादेश हेतु रू.2000/– प्रति दिवस के मान से वसूल की जाएगी एवं रू. 20.00 लाख से अधिक के धनादेश हेतु रू.4000/– प्रति दिवस के मान से वसूल की जाएगी।

C- यदि इसके पश्चात् भी वितरक द्वारा मूल राशि के साथ–साथ लागू उक्त अर्थदंड की राशि दुग्ध संघ के खाते में जमा नहीं की जाती है तो 15वें दिवस से राशि जमा करने के दिनांक तक रू.20.00 लाख तक के धनादेश हेतु अर्थदंड की राशि रू.3000/– प्रति दिवस के मान से वसूल की जाएगी एवं रू.20.00 लाख से अधिक के धनादेश हेतु रू.6000/– प्रति दिवस के मान से वसूल की जाएगी।

D- समस्त दूध वितरक व सह–परिवहनकर्ता के अनादरित धनादेश की मूल राशि के साथ–साथ लागू अर्थदंड की राशि को नगद में जमा करना सुनिश्चित किया जाएगा ताकि अर्थदंड की सही मान से गणना सुनिश्चित की जा सके तथा दुग्ध संघ को आर्थिक नुकसान से बचाया जा सके।

38. डेयरी परिसर के अंदर वितरक सह–परिवहनकर्ता के अधीन कार्यरत वाहन चालक द्वारा धुम्रपान, तम्बाखू, शराब आदि का सेवन एवं उंची आवाज में गाना बजाना आदि नहीं किया जावेगा साथ ही वाहन चालक द्वारा डेयरी परिसर में वाहन की रफ्तार अधिकतम 20 कि.मी. प्रति घण्टा रखी जावेगी।

39. वितरक सह–परिवहनकर्ता अथवा उसके कार्यरत स्टॉफ के कारण दुग्ध वितरण बाधित होता है तो संघ को हुए नुकसान की सम्पूर्ण भरपाई संबंधित वितरक सह–परिवहनकर्ता से की जावेगी।

40. वितरकों द्वारा निविदा के समय विक्रय होने वाले एक दिन के दूध की पांच गुना राशि अर्थात पांच दिन के विक्रय के बराबर राशि प्रतिभूति राशि के रूप में जमा करनी होगी। प्रतिभूति राशि का पुर्नरिक्षण प्रत्येक एक वर्ष बाद किया जायेगा अर्थात एक वर्ष बाद उस मार्ग पर जितनी दूध की विक्रय मात्रा होगी, उसकी कीमत का पांच गुना अर्थात पांच दिन के विक्रय राशि के समतुल्य प्रतिभूति राशि जमा करनी होगी।

41. संघ में पूर्व से कार्यरत वितरक सह–परिवहनकर्ताओं को निविदा में भाग लेने पर पुनः मार्ग आवंटित होने की स्थिति में संघ का **यदि बकाया क्रेट/बकाया दुग्ध विक्रय राशि लेना** शेष निकलता है तो उसे संघ में जमा करने के बाद ही कार्य आदेश दिया जाऐगा।

42. वितरक सह–परिवहनकर्ता अथवा उसके प्रतिनिधियों द्वारा संघ के कर्मचारियों/अधिकारियों/ संचालकों के साथ अभद्र व्यवहार किये जाने पर संघ द्वारा निर्देशित कार्यवाही वितरक सह– परिवहनकर्ता को करनी होगी। आदेशों का पालन न करने की दिशा में किसी भी समय आवंटन निरस्त करने का अधिकार दुग्ध संघ को रहेगा।

43. दुग्ध संघ द्वारा समय–समय पर दिये गये लिखित/मौखिक निर्देशों/आदेशों एवं सूचनाओं का वितरक सह–परिवहनकर्ता द्वारा पालन न करने की दशा में किसी भी समय आवंटन निरस्त करने का अधिकार दुग्ध संघ को रहेगा।

44. A- मुख्य कार्यपालन अधिकारी भोपाल दुग्ध संघ द्वारा एक बार प्रत्येक मार्ग के लिये वाहन निर्धारित किये जाने पर पूर्ण अवधि पर ऐसी वाहन से या उसके समकक्ष, इंसुलेटेड वाहन से दूध वितरण एवं परिवहन किया जाऐगा। ऐसा न करने पर या वांछित वाहन के स्थान पर छोटा वाहन चलाने पर कार्य आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा।

B- अनुबंध अवधि में वितरक सह–परिवहनकर्ता को आवंटित वितरण मार्ग पर निविदा के परिप्रेक्ष्य में कार्यरत वाहन की क्षमता से अधिक दूध की मांग होने पर संबंधित वितरक सह–परिवहनकर्ता को भोपाल दुग्ध संघ प्रबंधन के निर्देशानुसार उपयुक्त क्षमता के अतिरिक्त इन्सुलेटेड वाहन की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करना होगी। इस हेतु दुग्ध संघ द्वारा स्वीकृत अनुबंधित दर ही मान्य की जाऐंगी। स्वीकृत अनुबंधित दरों के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार का भुगतान दुग्ध संघ द्वारा नहीं किया जाऐगा।

45. **दुग्ध संघ द्वारा समय–समय पर जो भी निर्देश वितरकों को पत्रो/परिपत्रों के माध्यम से दिये जावेंगे, वे पत्र/परिपत्र इस अनुबंध का भाग माने जाएंगे।**

46. यह कि मार्ग क्रमांक .... पर श्री/मेसर्स ....वितरक सह–परिवहनकर्ता के रूप में परिवहन दर रूपये............................... पैसे प्रति लीटर वितरक मार्जिन अंकों में रू.0.30 प्रतिलीटर (शब्दों में तीस पैसे प्रतिलीटर) तथा रू.0.05 (शब्दों में पांच पैसे प्रतिलीटर) लीकेज के विरूद्ध तथा रू.0.05 (शब्दों में पांच पैसे प्रतिलीटर) स्टेशनरी व्यय कुल योग अंको में रू.__________प्रतिलीटर (शब्दों में रू.______________________________प्रतिलीटर) पर कार्य करेंगे।

47. वितरक सह–परिवहनकर्ता को आवंटित मार्ग पर स्थित समस्त विक्रय केन्द्रों से दूध की मांग लेकर एकजाई मांग दुग्ध संघ को उपलब्ध करानी होगी तथा प्रतिदिन दोनों समय की विक्रय केन्द्रवार मांग की जानकारी दुग्ध संघ को उपलब्ध कराना होगी। विक्रय केन्द्रवार प्रतिदिन मांग अनुसार वितरक सह–परिवहनकर्ता को स्वयं के स्तर पर शीट चालान तैयार करनी होगी एवं ई–मेल के माध्यम सॉफ्टकॉपी एवं छायाप्रति प्रतिदिन तथा मासिक आधार पर संघ को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

48. वितरक सह–परिवहनकर्ता को आवंटित मार्ग में स्वयं का साँची दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों के उचित भण्डारण एवं विक्रय हेतु एक एक्सक्लूज़िव आउटलेट खोलना अनिवार्य होगा। इस हेतु मांग अनुसार दुग्ध उत्पाद वितरक दर पर उपलब्ध कराए जाएंगे। जिससे की उक्त क्षेत्र के उपभोक्ताओं को साँची दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद सुगमता से उपलब्ध हो सके।

49. यह कि अनुबंधित अवधि में डीजल की दरों में जो भी वृद्धि/कमी होगी उसके अनुसार वितरक सह–परिवहनकर्ता की स्वीकृत परिवहन दरों में वृद्धि/कमी अनुपातिक दर से की जा सकेंगी। इसकी गणना मार्ग की दूरी जो निविदा में वर्णित हैं, वाहन का प्रकार टाटा 407/आयशर अथवा समकक्ष औसतम 10 किलो मीटर, टाटा 608/709/आयशर अथवा समकक्ष औसतम 6 किलो मीटर, महिन्द्रा पिकअप/अथवा समकक्ष औसतम 12 किलो मीटर के आधार पर की जाऐंगी ।

50. यह अनुबंध तीन वर्षो के लिए प्रभावशील रहेगा। दुग्ध संघ द्वारा वितरक सह–परिवहनकर्ता का कार्य तीन वर्ष की अवधि में संतोषप्रद पाये जाने पर अनुबंध की समान शर्तो एवं निर्धारित दर पर कार्य अवधि एक–एक वर्ष करके अधिकतम दो वर्ष हेतु आपसी सहमति से बढ़ाई जा सकेगी। कार्य वृद्धि होने की दशा में ही अनुबंध वृद्धित अवधि हेतु प्रभावशील रहेगा। वृद्धित अवधि में अनुबंध की समस्त शर्तों का पालन द्वितीय पक्ष को करना होगा।

51. **यदि पक्षकारों के बीच इस कार्य के विषय में कोई विवाद उत्पन्न हुआ तो, प्रबंध संचालक, एमपीसीडीएफ को प्रकरण निराकरण हेतु प्रस्तुत किया जा सकेगा। निराकरण न होने की स्थिति में आरबीट्रेशन एक्ट 1996 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।**

52. इस अनुबंध का न्यायायिक कार्यक्षेत्र भोपाल शहर का न्यायालय में रहेगाा। यह अनुबंध उपरोक्त शर्तो के अधीन दुग्ध संघ एवं वितरक सह–परिवहनकर्ता की आपसी रजामंदी के तहत दिनांक................ को निष्पादित किया गया है।

मैं .... पिता/पति/पत्नी.. वितरक सह–परिवहनकर्ता मार्ग क्रमांक .... अपना उत्तराधिकारी (नॉमिनी) श्री/श्रीमति... को घोषित करता/करती हूँ।

वितरक सह–परिवहनकर्ता के हस्ताक्षर ....
नाम...
पता..
....स...........................

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
भोपाल सह.दुग्ध संघ मर्या.

1.गवाह के हस्ताक्षर ....
नाम एवं पताः–..................................

....
....

प्रभारी (विपणन)
भोपाल सह.दुग्ध संघ मर्या.

2.गवाह के हस्ताक्षर ....
नाम एवं पताः–......................................

	पंचशील चक्की चौराहा से अंजली कम्पलेक्स		
मार्ग क्र	3	दूरी आना–जाना प्रातः व शाम 55 कि.मी.	*NB*
वाहन का प्रकार टाटा/आयशर अथवा समकक्ष क्षमता 350 क्रेट		औसत विक्रय मात्रा	2574.00
क्र.	विक्रय केन्द्र	स्थान का नाम	औसत दुग्ध विक्रय मात्रा (ली0)
1	दीप पार्लर	न्यूमेरी स्कूल के सामने	50
2	श्री हनुमान पार्लर	चक्की चौराह	19
3	डिपो नं. 62	दुर्गा मंदिर पंचशील	400.00
4	चांद एजेंसी	पंचशील	31.00
5	सतवीर एजेंसी	पंचशील	600.00
6	विकास एजेंसी	पंचशील	30.00
7	कृष्णा एजेंसी	माता मंदिर	230.00
8	हर्ष एजेन्सी	हर्षवर्धन नगर	119.00
9	मनोज एजेन्सी	हर्षवर्धन नगर	100.00
10	डिपो नं. 138	प्लेटिनम प्लाजा	115.00
11	डिपो नं. 25	राममंदिर के पास	80.00
12	डिपो नं.24	हर्षवर्धन नगर	180.00
13	डिपो नं. 406	माता मंदिर आई टाइप क्वाटर	50.00
14	हर्षवर्धन पार्लर	हर्षवर्धन नगर	110.00
15	माता मंदिर पार्लर	पुरानी माता मंदिर	220.00
16	डिपो नं. 61	शासकीय आवास सेकण्ड स्टॉप	120.00
17	डिपो नं. 528	अंजली कॉम्पलेक्स 2 नं. स्टॉप	120.00
औसतन दुग्ध विक्रय			2574.00

नोट :– प्रतिभूति राशि	2574 x 5 x 50	643500.00

नोट :–औसतन विक्रय मूल्य रू.50.00 प्रति लीटर के आधार पर)

ज़ोन प्रभारी

सहायक महाप्रबंधक

	इन्डस्ट्रियल एरिया से सेमरा गेट		
मार्ग क्र	10	दूरी आना–जाना प्रातः व शाम 52 कि. मी.	*PB*
वाहन का प्रकार टाटा/आयशर अथवा समकक्ष क्षमता 350 क्रेट		कुल विक्रय मात्रा	3746.00
क्र.	विक्रय केन्द्र	स्थान का नाम	औसत दुग्ध विक्रय मात्रा ली0
1	शिवा एजेंसी	इन्डस्टीयल एरिया गोविन्दपुरा	**50.00**
2	मंजू एजेंसी	इन्डस्टीयल एरिया गोविन्दपुरा	**49.00**
3	**तुलसी एजेंसी**	सेमरा	**600.00**
4	डिपो 280	सेमरा	**950.00**
5	बिसेन एजेंसी	सेमरा	**300.00**
6	डिपो 326	सेमरा बिजली कालोनी (बंद)	**0.00**
7	डिपो 178	बिजली कालोनी के पास	**200.00**
8	हैप्पी एजेंसी	सेमरा	**82.00**
9	श्याम एजेंसी	सेमरा	**525.00**
10	बीना एजेंशी	सेमरा	**800.00**
11	सलोनी एजेंसी	सेमरा	**70.00**
12	माला एजेन्सी	सेमरा	**70.00**
13	प्रकाश एजेन्सी	इण्डस्ट्रियल एरिया	**50.00**
औसतन दुग्ध विक्रय			**3746.00**

नोट :– प्रतिभूति राशि	3746x50x5	936500.00

नोट :–औसतन विक्रय मूल्य रू.50.00 प्रति लीटर के आधार पर)

ज़ोन प्रभारी

सहायक महाप्रबंधक

	डेरी से कटारा बर्रई		
मार्ग क्र	52	दूरी आना–जाना प्रातः व शाम .60. कि.मी.	*NB*
वाहन का प्रकार टाटा/आयशर अथवा समकक्ष क्षमता 350 क्रेट		औसत विक्रय मात्रा	**2341.00**
क0	विक्रय केन्द्र	स्थान का नाम	औसत दुग्ध विक्रय मात्रा लीटर में
1	आम्रपाली पार्लर	आम्रपाली पार्लर	0
2	211	लहारपुर	150
3	212	लहारपुर	92
4	लहारपुर ऐ.	लहारपुर	44
5	शिवशक्ती ऐ.	लहारपुर	230
6	543	कटारा	0
7	526	कटारा	30
8	482	अमलतास	77
9	500	बर्रई रोड	20
10	495	वराई रोड	84
11	480	स्प्रिंग वैली	500
12	374	पार्क सीटी	0
13	508	बर्रई रोड	11
14	491	बर्रई	196
15	स्प्रिंगवैली ऐ.	सिगनेचर	45
16	हेवन्स ऐ.	सिगनेचर कालोनी	41
17	राजपूत ऐ.	बर्रई रोड	90
18	नवरूपम ऐ.	बर्रई रोड	112
19	मनीराम एजेन्सी	बर्रई	150
20	छपपन चाय एजेन्सी	बर्रई	15
21	छिन्द एजेन्सी	बर्रई रोड	75
22	हेमलता एजेन्सी	विवेकानंद परिसर	54
23	प्रतुस्थामी एजेन्सी	बर्रई	190
24	जय सिंघानिया एजेंसी	बर्रई	20
25	पार्क सिटी एजेन्सी	बर्रई	115
	Total		**2341**
	नोट :– प्रतिभूति राशि	**2341 x 5 x 50**	**585250**

नोट :– औसत मुल्य रू 50.00 प्रति लीटर के आधार पर

ज़ोन प्रभारी

सहायक महाप्रबंधक

सेमरा से चान्दबड तक

मार्ग क्र	**62**	दूरी आना–जाना प्रातः व शाम 48 कि. मी.	***PB***
वाहन का प्रकार – महिन्द्रा/टाटा अथवा समकक्ष क्षमता 220 क्रेट		कुल विक्रय मात्रा	**1050.00**
क्र.	विक्रय केन्द्र	स्थान का नाम	औसत दुग्ध विक्रय मात्रा ली0
1	राजेन्द्र ट्रेडर्स	सेमरा	**650.00**
2	जतिन एजेंसी	सेमरा	**80.00**
3	विमला एजेंसी	दुर्गा नगर कालोनी	**20.00**
4	नीता एजेंसी	चांन्दबड	**150.00**
5	डिपो 118	चांन्दबड बीएमएचआरसी डिस्पेंसरी	**110.00**
6	पलाश एजेंसी	सेमरा	**40.00**
औसतन दुग्ध विक्रय			**1050.00**

नोट :– प्रतिभूति राशि	**1050x50x5**	**262500**

नोट :–औसतन विक्रय मूल्य रू.50.00 प्रति लीटर के आधार पर)

ज़ोन प्रभारी — सहायक महाप्रबंधक